

2-2-2021) वकीलों द्वारा कार्य स्विकार | वास्ते जबरन प्रारंभ  
पत्रावली दि० 5-2-2021 को पेश हो।

5-2-2021) वकील उमयपत्र उपा० | वकील वादीने प्रारंभ तहत  
आदेश ७ नियम २(3) ए.प.ए. का जबरन प्रस्तुत  
क्रिया | वास्ते बहस दर० पत्रावली दि० 16-2-2021  
को पेश हो।

16-2-2021) वकील उमयपत्र उपा० | वास्ते बहस दर० पत्रावली  
दि० 2-3-2021 को पेश हो।

2-3-2021) वकील उमयपत्र उपा० | वास्ते बहस दर० पत्रावली  
दि० 9-3-2021 को पेश हो।

9-3-2021) वकील उमयपत्र उपा० | वादी प्रभु पुत्र शोबक्स जाति  
माली निवासी ताजपुर मोड बूली की दाणी ने  
उपस्थित होकर प्रारंभ इस आशय का प्रस्तुत किया है  
कि पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो गया है जिसके  
मुताबिक मेरी रकतेदारी की भूमि सॉर्न नं० 1192 में से  
जो भूखण्ड वादी ~~के पुत्र~~ रामप्रसाद ~~का~~ प्रतिवादी पतोल  
को स्टाम्प पर विक्रय किया है उसकी रजिस्ट्री  
तहसील में जाकर वादी प्रभु प्रतिवादी पतोल के नाम  
करवा देगा | वादी अब यह मुकदमा आगे चलाना नहीं  
चाहता है, अपना मुकदमा वापस लेता है | वादी का दावा  
विद्वाल के आधार पर निरस्त फर्मा दिया जावे।

प्रारंभ पर वादी को व वकील वादी को सुना  
गया | प्रारंभ स्वीकार किया जाकर वादी का दावा  
विद्वाल में रजिस्ट्रि किया जाता है | पत्रावली फैसल  
शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील  
दाखिल दफतर हो।

उप जिला कलेक्टर  
बंगालूर सिटी (सं० भा०)

